मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 7:13 मिनट

बच्चे की उम्र का अनुमान एवं निर्धारण (धारा 94, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति (गवाही देने के उद्देश्य के अलावा) को देखने पर जहाँ स्पष्ट हो कि व्यक्ति एक बच्चा है, बोर्ड ऐसे अवलोकन को दर्ज करते हुए बच्चे की जितना सम्भव हो सके निकटतम उम्र दर्ज करेगी तथा अपनी जाँच (कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए धारा 14 के तहत या देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए धारा 36 के तहत जैसा भी मामला), उम्र के निर्धारण का इंतजार किए बिना जारी रखेगी ।

ऐसी स्थिति में जब पर्याप्त कारणों से बोर्ड के समक्ष लाए गए व्यक्ति के बारे में बोर्ड को यह शंका हो कि वह व्यक्ति बच्चा है या नहीं तो समिति या बोर्ड, जो भी मामला हो, को उम्र निर्धारण की प्रक्रिया निम्न साक्ष्य लेकर पूरी करनी चाहिए:

- विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र या हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा का संबंधित बोर्ड का प्रमाण–पत्र यदि उपलब्ध हो, और इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में,
- नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र और
- ऊपर के पहले और दूसरे प्रकार के जन्म प्रमाण–पत्रों के अभाव में उम्र का निर्धारण अस्थि विकास जाँच या अन्य किसी नवीन चिकित्सीय जाँच के द्वारा, बोर्ड के आदेश पर किया जाएगा।
- बशर्ते कि बोर्ड के आदेश पर इस तरह की उम्र निर्धारण की जाँच, आदेश की तिथि के 15 दिनों के अन्दर पूरी कर ली जानी है। बोर्ड के समक्ष लाए गए व्यक्ति की बोर्ड द्वारा दर्ज की गई उम्र, इस अधिनियम के लिए व्यक्ति की सही उम्र मानी जाएगी।

निवास स्थान पर बच्चे का स्थानान्तरण (धारा 95, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

- यदि जाँच के दौरान यह पाया जाता है कि बच्चा बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर का रहने वाला है और जाँच के बाद बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि बच्चे का स्थानान्तरण उसके हित में है और बच्चे के गृह जिला के बोर्ड से विचार–विमर्श करके, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए बोर्ड संबंधित कागजातों के साथ, बच्चे को गृह जिला में जल्द से जल्द स्थानांतरित करने का आदेश पारित करेगा।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का स्थानांतरण तभी किया जा सकता है, जब जाँच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो और बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया हो।

- अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण के समय यदि सम्भव हो तो बच्चे को उसके गृह जिला के बोर्ड को सौंपा जाना चाहिए या गृह जिले के राज्य की राजधानी के बोर्ड को सौंपना चाहिए।
- जब स्थानांतरण का निर्णय ले लिया जाए, तब जैसा भी मामला हो, बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई को बच्चे के लिए अनुरक्षण आदेश (Escort Order) देगा जिसका अनुपालन ऐसा आदेश मिलने के 15 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए।
- एक बालिका के साथ महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है।
- जहां पर विशेष किशोर पुलिस इकाई नहीं है तब बोर्ड को उस संस्थान को निर्देश देना चाहिए जहां बच्चा अस्थायी रूप से रह रहा है या जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देशित करना चाहिए कि बच्चे को यात्रा के दौरान अनुरक्षण दिया जाए।
- स्थानांतरित बच्चे को प्राप्त करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड बच्चे के पुनर्स्थापन या पुनर्वास या सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
- किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संस्थानों तथा कारावास का निरीक्षण
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की आवासीय सुविधा का प्रत्येक माह कम से कम एक बार निरीक्षण करना और जिला
- बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों की अनुशंसा करना।
- वयस्कों के लिए बनाए गए कारावासों का नियमित निरीक्षण करना ताकि यह देख सकें कि ऐसे कारावास में कोई बच्चा तो
- नहीं रखा गया है और यदि ऐसा हो तो बच्चे को तुरन्त पर्यवेक्षण गृह में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाना।

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए बच्चों के संबंध में बोर्ड के अन्य कार्य

- यदि जाँच के किसी भी चरण में समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि मामले की जाँच के लिए बच्चे की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है तो समिति या बोर्ड बच्चे की उपस्थिति में छूट दे सकते हैं और उसे बयान दर्ज करने तक ही सीमित कर सकते हैं।
- यदि बच्चा ऐसी बीमारी से ग्रसित पाया जाता है जिसके लिए लम्बे उपचार की जरूरत है या शारीरिक या मानसिक परेशानी है जिसके लिए उपचार की जरूरत है तो बोर्ड बच्चे को आवश्यक इलाज के लिए चिन्हित किसी भी उपयुक्त सुविधा में भेज सकता है।
- बोर्ड किसी भी बच्चे को अनुपस्थिति के लिए अवकाश दे सकता है या अनुमति दे सकता है ताकि विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, रिश्तेदार की शादी, किसी नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु या दुर्घटना या माता–पिता की गंभीर बीमारी या आपातकालीन स्थितियों जैसे प्रकृति आदि में शामिल हो सके। यह अवकाश एक बार में सामान्यतः यात्रा के समय को छोड़कर सात दिन से अधिक का नहीं होगा।

- प्रत्येक तीन माह पर की गई समीक्षा के आधार पर लंबित मामलों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट की अनुशंसा पर बोर्ड बैठकों की संख्या बढ़ा सकता है।